

पत्रांक-05/बी08-01/2015 / 86

बिहार सरकार,
शिक्षा विभाग।

प्रेषक,

भरत राम,
उप सचिव।

सेवा में,

सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक।

निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद, बिहार, पटना।

पुस्तकालय अधीक्षक, बिहार, पटना।

निदेशक, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, पटना।

निदेशक, के० पी० जायसवाल शोध संस्थान, पटना।

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी

सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना)

निदेशक, प्राकृत जैन शास्त्र और अहिंसा शोध संस्थान, वैशाली

निदेशक, मिथिला स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शोध संस्थान, दरभंगा

निदेशक, जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनैतिक शोध संस्थान, पटना

सचिव, प्रक्षेत्रीय पर्यालोचन अभिलेख समिति, पटना।

प्राचार्या, राजकीय महिला महाविद्यालय, गर्दनीबाग/गुलजारबाग, पटना

सभी प्राचार्य, राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय

प्राचार्य, मदरसा इस्लामियों शमसूल होदा, पटना

निदेशक, अरबी, फारसी शोध संस्थान, पटना।

पटना, दिनांक 9/11/16

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान माह अगस्त, 2016 तक व्यय की गयी राशि का मिलान के संबंध में।

प्रसंग :- वरीय उप महालेखाकार, (ले० एवं भी०एल०सी०), बिहार, पटना का पत्रांक-534 दिनांक-07.10.16 के आलोक में।


महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार वित्तीय नियमावली भाग-1 के नियम-475 के अनुसार प्रत्येक नियंत्री पदाधिकारी का यह दायित्व है, कि अपने लेखे का सत्यापन प्रत्येक तिमाही में महालेखाकार, बिहार, पटना के कार्यालय से ससमय करा लिया जाय। लेखा का सत्यापन समय से नहीं करार्ये जाने पर अधिकाई-व्यय की संभावना बनी रहती है।

अतः वरीय उप महालेखाकार, (ले० एवं भी०एल०सी०), बिहार, पटना के पत्रांक-534 दिनांक-07.10.16 के आलोक में सूचित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को अपने स्तर से निदेश दिया जाये कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के माह अगस्त 16 तक योजना/गैर योजनान्तर्गत व्यय की गयी राशि का लेखा मिलान (सत्यापन) दो सप्ताह के अंदर महालेखाकार, (ले० एवं ह०), का कार्यालय बिहार, पटना से कराना सुनिश्चित करें।

लेखा सत्यापन नहीं होने की स्थिति में इसकी सारी जबाबदेही आपकी होगी। वैसे निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जो इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित नहीं करेंगे उनका वेतन रोकने की कार्रवाई हेतु प्रधान सचिव के संज्ञान में लाया जायेगा।

विश्वासभाजन,



उप सचिव,

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 186

पटना, दिनांक:- 9/11/16

प्रतिलिपि:-निदेशक, (प्राथमिक शिक्षा)/निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)/निदेशक, (उच्च शिक्षा)/निदेशक, (जन शिक्षा)/निदेशक, (शोध एवं प्रशिक्षण)/सहायक निदेशक, माध्यमिक शिक्षा कार्यालय बुद्ध मार्ग, पटना/सहायक निदेशक, संस्कृत शिक्षा बोर्ड, बिहार, पटना को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



उप सचिव,

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 186

पटना, दिनांक:- 9/11/16

प्रतिलिपि:-सभी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, शिक्षा विभाग/सभी लेखापाल, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/मुख्यालय स्तर से निकासी की गयी राशि का लेखा मिलान अविलम्ब सुनिश्चित करें।



उप सचिव,

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 186

पटना, दिनांक:- 9/11/16

प्रतिलिपि:- वरीय उप महालेखाकार, (ले० एवं भी०एल०सी०), बिहार, पटना को उनके पत्रांक-534 दिनांक-07.10.16 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।


उप सचिव,

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 186

पटना, दिनांक:- 9/11/16

प्रतिलिपि:-आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


उप सचिव,

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

